वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी

वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी

1. आवंटन की स्थिति (सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित खानें)

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन 204 कोयला खानों का आवंटन रद्द किया गया था, उनका आवंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, आज की तारीख तक कुल 147 कोयला खानों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 26 कोयला खानों का आबंटन रद्द कर दिया गया है। शेष 121 कोयला खानों में से 69 कोयला खानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है जबकि 52 को आवंटन के माध्यम से आवंटित किया गया है। नीलाम की गई 69 खानों में से 24 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल चुकी है (23 में उत्पादन हो रहा है)। 52 आबंटित खानों में से 33 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है (31 में उत्पादन हो रहा है)।

कोयला खानों की स्थिति निम्नानुसार है: –

सीएम (एसपी) अधिनियमए 2015 के तहत आवंटित कोयला खानों की स्थिति								
क्र.सं.	आवंटन का तरीका	अंत्य उपयोग विद्युत"	अंत्य उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खान खोलने की अनुमति वाली खानें	गैर–प्रचालनरत खानें	उत्पादन के तहत खानें
1	नीलामी	5	18	46	69	24	45	23
2	आवंटन	38	2	12	52	33	19	31
	कुल	**43**	**20**	**58**	**121**	**57**	**64**	**54**
एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत आबंटित कोयला खानों की स्थिति								
1	नीलामी	0	0	34	34	1	33	0
2	आवंटन	5	0	1	6	0	6	0
कुल		**5**	**0**	**35**	**40**	**1**	**39**	**0**
कुलयोग		**48**	**20**	**93**	**161**	**58**	**103**	**54**

121 आवंटित कोयला खानों में से 57 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है और 54 खानों ने कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोयला ब्लॉकों से अप्रैल, 2024 तक सृजित कुल राजस्व 20138.03 करोड़ रुपये (रॉयल्टी, करों, उपकर आदि को छोड़कर) है।

मार्च, 2024 तक आवंटित कैप्टिव/वाणिज्यिक ब्लॉकों से कुल कोयला उत्पादन 619.83 मि.ट. और 2024–25 में अप्रैल, 2024 तक 10.86 मि.ट. है।

2. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एमएमडीआर खानों का आवंटन

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कुल 34 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी और निहित की गई है।

3. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और प्रतिनिधि मूल्यों का परिचालन मैनुअल

कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन को आर्थिक मामलों

की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। नीलामी प्रक्रिया में, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) और प्रतिनिधि मूल्य (आरपी) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सूचकांक की अवधारणा और डिजाइन के साथ–साथ प्रतिनिधि मूल्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा विकसित किए गए हैं। वर्तमान दिशा–निर्देशों में तकनीकी ब्यौरे दिए गए हैं जिनका कोयला मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप एनसीआई और आरपी के संकलन के विभिन्न चरणों में अनुपालन किया जाना है।

3क. एनसीआई और आरपी के संक्षिप्त घटकः एनसीआई एक मूल्य सूचकांक है जो सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतों को जोड़ता है– अधिसूचित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयात मूल्य।

अधिकांश कोयला अधिसूचित मूल्यों के माध्यम से बेचा जाता है। नान–कोकिंग कोयले के लिए सीआईएल प्रत्येक ग्रेड के लिए अधिसूचित मूल्य निर्धारित करती है। विनियमित क्षेत्र और गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के संबंध में मूल्य भिन्नता है। पुनः लागत को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूसीएल कोयले के लिए अलग–अलग अधिसूचित मूल्य व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, एससीसीएल विनियमित और गैर–विनियमित क्षेत्रों के बीच मूल्य भिन्नता के साथ कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए मूल्य भी अधिसूचित करता है। कोकिंग कोल के संबंध में सीआईएल की केवल कुछ सहायक कंपनियां ही उत्पादन कर रही हैं। कोकिंग कोल की कीमतों को अधिसूचित करने की शक्तियां सहायक कंपनियों को प्रत्यायोजित की गई हैं। विनियमित और एनआरएस के लिए कोयले के प्रत्येक ग्रेड की अधिसूचित कीमतें और गैर–कोकिंग कोयले के लिए सीआईएल (डब्ल्यूसीएल को छोड़कर), डब्ल्यूसीएल और एससीसीएल के लिए और विनियमित क्षेत्र के साथ–साथ एनआरएस के लिए सहायक कंपनियों के विभिन्न ग्रेडों की विभिन्न कोकिंग कोल के लिए अधिसूचित कीमतें एनसीआई के साथ–साथ आरपी के प्रयोजन के लिए ली जाएंगी।

अधिसूचित मूल्यों पर बिक्री के अलावा, सीआईएल और एससीसीएल विभिन्न प्लेटफार्मों–एमएसटीसी और जंक्शन पर कोयले की ई–नीलामी करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, योजनाओं की एक श्रेणी विशेष प्रकार के ग्राहक के लिए है। नीलामी हर महीने आयोजित की जाती है। इसके अलावा, सीआईएल एनआरएस के लिए लिंकेज नीलामी भी करती है। एनसीआई और आरपी के प्रयोजन के लिए, नीलामी (केवल सीआईएल के) से विभिन्न ग्रेड के कोयले के यूनिट मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। **इस उद्देश्य के लिए नीलामी का अर्थ ई–नीलामी और लिंकेज नीलामी दोनों है।**

एनसीआई और आरपी का तीसरा घटक आयात मूल्य है। दोनों के संकलन के लिए, केवल विनिर्दिष्ट देशों से विशिष्ट प्रकार के कोयले के आयात पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक माह के लिए, आयात की मात्रा और इसका मूल्य डीजीसीआईएस से एकत्र किया जाएगा और इन दो वैल्यू से, कोयले की यूनिट वैल्यू की गणना एनसीआई के साथ–साथ आरपी में इसके उपयोग के लिए की जाएगी।

3.ख डेटा संग्रहः विभिन्न प्रकार के मूल्य डेटा के संग्रह का कर्तव्य पूरी तरह से डीडीजी कार्यालय के पास है। इस प्रयोजनार्थ, निदेशक (विपणन), सीआईएल तथा डीजीसीआईएस को नियमित आधार पर आंकडे भेजने के लिए एक पत्र भेजा गया था। डीडीजी को व्यक्त समय–सीमा के भीतर आंकड़े एकत्र करने के सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए विपणन प्रभाग, सीआईएल और डीजीसीआईएस के अधिकारियों के साथ संपर्क करना होता है। कोकिंग कोल के अधिसूचित मूल्य प्राप्त करने के लिए डीडीजी द्वारा बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और डब्ल्यूसीएल के कोकिंग कोयले की कीमतों के लिए सीआईएल के साथ नियमित बातचीत की जाती है, जिनके आंकडे इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं।

मंत्रालय द्वारा एनसीआई का हर महीने संकलन किया जा रहा है। नवीनतम एनसीआई मार्च, 2024 के महीने में प्रकाशित हुआ था।

4. वाणिज्यिक खनन

2014 में शुरू की गई नीलामी–आधारित व्यवस्था ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी, तथापि, यह स्वयं के अंत्य उपयोग संयंत्रों में कैप्टिव उपयोग तक सीमित था। इस क्षेत्र को 2020 में निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए खोल दिया गया है और वाणिज्यिक खनन की पहली

सफल नीलामी का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18.06.2020 को किया गया था और 19 कोयला खानों के आवंटन के साथ संपन्न हुई थी।

वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में की जाती है जिसमें तकनीकी जांच तथा पहले चरण में प्रतिस्पर्धी आरंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा दूसरे और अंत्य चरण में बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्राप्त करना शामिल होता है।

वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी प्रतिबंधित क्षेत्रों, उपयोग और मूल्य की पहले की व्यवस्था से पूरी तरह से अलग है। अब, इस तरह के प्रतिबंध बिल्कुल नहीं हैं। नीलामी में नियम और शर्तें हैं जो बहुत उदार हैं, जिससे नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलती है।

घटी हुई अग्रिम राशि, रॉयल्टी के प्रति अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित उचित वित्तीय शर्तें और राजस्व हिस्सेदारी मॉडल।

अब तक अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में 104 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की गई है (ब्यौरा अनुबंध–I में दिया गया है)। उपर्युक्त 104 कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी के माध्यम से कोयलाधारी राज्य सरकार को होने वाले अनुमानित लाभ निम्नानुसार हैं –

क्र. सं.	राज्य	नीलाम की गई कोयला खानों की संख्या	नीलाम की गई कोयला खान की संचयी पीआरसी (एमटीपीए)*	खान की पीआरसी के आधार पर सृजित वार्षिक राजस्व (करोड़ रुपये)*	पूंजी निवेश (करोड़ रुपये)*	कुल रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष)*
1	अरुणाचल प्रदेश	1	0.20	172.85	30.00	270
2	असम	2	0.02	38.44	3.60	20
3	छत्तीसगढ़	16	45.81	8,209.50	6,871.50	61,935
4	झारखंड	28	43.40	6,071.75	6,510.00	58,677
5	मध्य प्रदेश	26	24.03	4,433.17	3,604.50	32,489
6	महाराष्ट्र	9	5.22	817.32	783.00	7,057
7	ओडिशा	18	98.63	13,177.00	14,794.50	1,33,348
8	तेलंगाना	1	4.00	447.01	600.00	5,408
9	पश्चिम बंगाल	3	4.89	371.18	733.50	6,611
महायोग		**104**	**226.20**	**33,738.22**	**33,930.60**	**3,05,815**

** कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक नीलामी के 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 दौर के तहत खानों के लिए केवल पूर्ण रुप से अन्वेषित खानों के लिए लाभ की गणना की गई है क्योंकि आंशिक रूप से अन्वेषित खानों की पीआरसी उपलब्ध नहीं था। तथापि, वाणिज्यिक नीलामियों की दौर–1 की कोयला खानों से होने वाले लाभों की गणना करते समय आंशिक और पूर्ण रूप से अन्वेषित दोनों खानों से होने वाले लाभों पर विचार किया गया है क्योंकि आंशिक और पूर्ण रूप से अन्वेषित दोनों कोयला खानों की पीआरसी उपलब्ध थी।*